ॐ

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce

B'COM Part - 1st

Paper- II
AUDITING (Hons)

Sub: Auditing
Paper - II

Definition of Auditing

Auditing लैटिन भाषा के 'ऑडियर' (Audire) शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है, 'सुनना' (To hear)। प्राचीन काल में व्यापारी हिसाब-किताब की पुस्तकों को लेकर किसी निष्पक्ष व्यक्ति के पास जाते थे। वह व्यक्ति हिसाब-किताब को सुनता था और फिर हिसाब की सत्यता के बारे में अपना निर्णय देता था। सुनने की इस क्रिया को ऑडिटिंग (Auditing) या अंकेक्षण तथा सुनने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक (Auditor) कहा जाने लगा।

"अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य है, जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है तथा जिसके लिये पर्याप्त कुशलता एवं निर्णय की आवश्यकता होती है।" विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रकट किये है जिनमें निम्न मुख्य है :-

1. लॉरेन्स आर. डिक्सी :- (Lawrence R. Dicksee)
"अंकेक्षण हिसाब-किताब के लेखों की जाँच है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया एवं सही रूप से संबंधित सौदों के लिये किये गये है। साथ ही यह निश्चित हो सके कि सभी सौदे अधिकृत रूप से किये गए है।"

An Audit is an examination of accounting records undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transcations of which they relate.

2. ए. डब्लु. हेन्सन :- (A. W. Hanson)
"सम्पूर्ण लेखों की ऐसी जाँच को अंकेक्षण कहते है जिससे की उनपर तथा उनके द्वारा बनाये गये विवरणों पर विश्वास किया जा सके।"

"Audit may said that An audit is on examination of such records to establish their reliability and the

reliability of statements drawn from them".

3. श्री आर. बी. बोस :- (R. B. Bose)
एक व्यापारिक संस्था को हिसाब-किताब की पुस्तकों की सत्यता तथा उसका सही रूप उन व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित करना ही अंकेक्षण कहलाता है जो इस कार्य के लिये योग्य है और जिनका इन लेखों के तैयार करने से कोई संबंध नहीं है।"
Audit may be said to be the verification of the accuracy and correctness of the books of accounts by independent persons qualified for the job and not in any way connected with the prepration of such accounts."

: OBJECTS OF AUDITING :-
The main object of Auditing लेखाओं (Accounts) और विवरणों (Statements) की सत्यता तथा वास्तविकता की जाँच करना है। इसके अतिरिक्त व्यापार की आर्थिक (Financial - Position) से संबंधित लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना है कि हिसाब-किताब की पुस्तकें सही तरीके (method) से रखी गई है या नहीं ?
स्पाइसर और पैगलर के द्वारा दी गई परिभाषा के द्वारा दी गई परिभाषा से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है :→ "अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियोजकों या उसके कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये लेखों और विवरणों का सत्यापन करना है, यद्यपि कपटों एवं त्रुटियों की खोज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथापि इन्हें मुख्य उद्देश्य का सहायक माना जाना चाहिए।"

अंकेक्षण के मुख्यतः निम्न दो उद्देश्य होते है :→
मुख्य उद्देश्य :→ हिसाब-किताब की जाँच एवं विवरण पत्रों का सत्यापन अर्थात् उनकी पूर्णता, सत्यता तथा नियमानुकूलता का पता लगाना।
सहायक उद्देश्य :- (A) अशुद्धियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना।
(B) छल-कपट का पता लगाना तथा उन्हें रोकना।

(A) अशुद्धियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना (Detection and Prevention of Errors) :-

अशुद्धियों का वर्गीकरण लेखकों ने विभिन्न प्रकार से किया है, परंतु इनमें से कोई भी स्पष्ट नहीं है। साधारणतया: ये अशुद्धियाँ निम्न वर्गों में विभक्त की जा सकती है :-

1. भूल की अशुद्धियाँ (Errors of Omission)
2. सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ (Errors of Principle)
3. लेखन की अशुद्धियाँ (Errors of Commission)
4. पूरक अशुद्धियाँ (Compensating Errors)

1. भूल की अशुद्धियाँ (Errors of Omission)
जब कोई व्यापारी किसी लेखे को भूल से प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में पूर्णत: नहीं लिखता है तो ऐसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहते है।

2. सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ (Errors of Principles)
ऐसी अशुद्धियाँ जो लेखा कर्म (Accounts work) के सिद्धान्तों के विपरीत प्रविष्टि करने से हो जाती है, उन्हे "सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ कहते है"।

3. लेखन की अशुद्धियाँ (Errors of Commission)
जब किसी सौदे का लेखा आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाता है तो ऐसी अशुद्धि लेखन की अशुद्धि मानी जाती है। इसके कारण पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से गलत लिखना, खतियाने में गलती, जोड़ने तथा शेष निकालने में गलती, जोड़ों के आगे ले जाने में गलती।

4. पूरक अथवा समकारी अशुद्धियाँ (Compensation Errors)
यह इस तरह की अशुद्धि है जिसमें एक गलती दूसरी गलती को ठीक कर देती है। इसका कारण एक गलती का प्रभाव वैसी ही दूसरी गलती से संतुलित हो जाना।

(B) छल-कपट का पता लगाना तथा रोकना (Detection and Prevention of Fraud)

1. नगद या माल का गबन या इधर-उधर होना (Misappropriation of Cash or goods)
नगद के गोलमाल में कर्म के मुनीम व्यापार में प्राप्त की गई रकम को उसका लेखा न करके या कुछ झूठे भुगतान दिखलाकर गायब कर देते है। अथवा या प्राप्त कर्ज का रुपया किसी से मिला हो और उसका एक हिस्सा गायब करके यह दिखला देते हैं कि कर्जदार को छूट (Discount) दिया गया है। रुपये का गोलमाल मुनीम द्वारा निम्न तरीकों से होता है :-

(i) उधार बेची गई वस्तु का कोई लेखा न करना तथा देनदार से प्राप्त रुपये का गबन कर देना।
(ii) नगद बिक्री का लेखा न करना और प्राप्त नगद का गबन कर देना।
(iii) क्रय मजदूरी तथा व्यापार में होने वाले छोटे-मोटे खर्चों के झूठे भुगतान कर उतनी रकम गायब कर देना।
(iv) किसी कर्जदार से मिले रुपये गायब कर उसे असाध्य ऋण (Bad debts) की तरह दिखला देना।
(v) चेक (cheque) को गायब कर रुपया निकाल लेना।
(vi) एक विनिमय साध्य विपत्र (Bill of Exchange) के भुनाने पर मिली हुई रकम को न लिखना और विपत्र को इस प्रकार लिखना जैसे वह हाथ में हो।
(vii) उस तरह के मालों की बिक्री को न दिखाना जो कि वी० पी० द्वारा भेजे गये है।
(viii) एक ग्राहक द्वारा दिये गये रुपयों में दूसरें खातों में लिखकर प्राप्त रकम हड़प जाना।

Classification of Audit

अंकेक्षण का वर्गीकरण निम्न दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है :-
(A) व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार (Commercial point of view) एवं (B) व्यावहारिक दृष्टिकोण से (Practical point of View)

(A) व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार अंकेक्षण का वर्गीकरण (Commercial point of view) "व्यापारिक संस्था का अंकेक्षण उसके संगठन के अनुसार किया जाता है। संस्था का संगठन जैसा होगा, वैसे ही उसके हिसाब-किताब रखने की प्रणाली होगी"

1. वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit)
इसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं इनके निम्न तीन उदाहरण हैं :-

(i) कंपनियों का अंकेक्षण (Audit of Companies)
(ii) न्यासों का अंकेक्षण (Audit of Trust)
(iii) अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण (Audit of other Institutions)

2. निजी या व्यक्तित्व अंकेक्षण (Private Audit)
ऐसी संस्थाएँ जिसके हिसाब-किताब के अंकेक्षण के लिये किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के अंकेक्षण सम्मिलित किये गये हैं :-

(i) एकाकी व्यापार के हिसाब-किताब का अंकेक्षण (Audit of the Accounts of Sole Trade)
(ii) साझेदारी संस्थाओं के हिसाब-किताब का अंकेक्षण (Audit of Accounts of Partnership Firms)
(iii) निजी व्यक्तियों के लेखाओं का अंकेक्षण (Audit of Accounts of Private Individuals)

3. सरकारी अंकेक्षण (Government Audit)
प्रत्येक राज्य में अलग एक अंकेक्षण विभाग होता है जो अर्द्धसरकारी संस्थाओं का अंकेक्षण करता है।

4. आन्तरिक अंकेक्षण (Internal Audit)
कुछ ऐसी संगठित संस्थाए होती है जो अपने अन्य कर्मचारी की भाँति अंकेक्षक को भी नियुक्त करती है। "It is conducted by a regular employee of a business concern."

(B) व्यवहारिक दृष्टि से अंकेक्षण का वर्गीकरण
(Classification from Practical point of View)

1. व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अंकेक्षण के भेद किये गये हैं। वे सभी अंकेक्षण सम्मिलित हैं जो व्यवहार में संस्थाओं द्वारा करवाए जाते हैं :-

1. चालू अंकेक्षण (Continuous Audit) "A continuous Audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period or where the auditor or his staff attends at regular or irregular intervals during the periods."

(Dr. HONEY Sinha)
Honey Sinha
08/04/20

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dep. of Commerce
Sub :- Auditing (Hons)
Paper - II
SNSRKS COLLEGE, SAHARSA

The end